न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जायल (नागौर)

पीठासीन अधिकारी रवीन्द्र चौधरी आर.ए.एस

प्रा.पत्र संख्या – 43/2020

प्रार्थी–

जफरूदीन पुत्र गुलाबदीन जाति– तेली मुसलमान
निवासी– डेह, तहसील–जायल जिला–नागौर।

बनाम

अप्रार्थी–

तहसीलदार जायल ।

उपस्थित

1. अभिभाषक श्री शैलेन्द्र सिंह कालवी प्रार्थी की ओर से ।
2. राजपैरोकार (तहसीलदार)

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक :– 12/7/2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम जफरूदीन पुत्र गुलाबदीन हैं। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में मौजा डेह के खतौनी सं. 1258 में खसरा नम्बर 1305, 1590, 402 तथा खाता संख्या 1253 जिसमें खसरा नं. 1070, 401/2 तथा खाता संख्या 445 जिसमें खसरा नं. 1743 में प्रार्थी का नाम जबरूदीन ग्राम में आम बोलचाल की भाषा में होने से प्रार्थी के पिता के देहान्त हो जाने पर फौतगी नामान्तकरण में पटवारी हल्का द्वारा करं दिया गया, जबकि अन्य समस्त राजकीय दस्तावेजात् यथा मतदाता फोटो पहचान पत्र, राशन काड, भामाशाह व आधार कार्ड मे प्रार्थी का नाम जफरूदीन हैं। ग्राम डेह में जफरूदीन पुत्र गुलाबदीन जाति तेली नाम का एकमात्र प्रार्थी ही है अन्य कोई व्यक्ति न तो जफरूदीन के नाम से ग्राम डेह है तथा न ही जबरूदीन के नाम से है। इस प्रकार प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अलग तथा दस्तावेजात् में अलग नाम होने से कारण प्रार्थी को सरकारी मुआवजा व अन्य प्रकार की ऋण सुविधाओं मे परेशानी आने से प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन वास्ते जवाब देही तलब किया गया। अप्रार्थी/राजपैरोकार ने प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट/जवाब पेश कर निवेदन किया कि ग्राम डेह तहसील जायल के खसरा नं. 1258 व

12/07/2024
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

खाता संख्या 445 में सहखातेदारी में दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम जबरूदीन पुत्र गुलाबदीन जाति–तेली साकिन देह खातेदार दर्ज है। इसी प्रकार प्रार्थी के आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम जफरूदीन पुत्र गुलाबखान अंकित है। इसी प्रकार ग्राम डेह में जबरूदीन नाम का कोई अन्य व्यक्ति के संबंध में जानकारी प्राप्त नही हुई। राजस्व रिकॉर्ड में गुलामदीन पुत्र निजामदीन कौम तेली, दर्ज रहता रहा है, गुलामदीन की मृत्यु होने पर तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण संख्या 2921/05.05.2010 दर्ज होकर स्वीकृत हुआ जो विरासत का नामान्तकरण था। जिसके द्वारा प्रार्थी का नाम जबरूदीन दर्ज हुआ था तथा लगातार चल रहा है, साथ ही अन्य सहखातेदारों के बयान के आधार पर प्रार्थी का नाम शुद्ध किये जाना राजपैरोकार ने अपने जवाब में उचित बताया।

प्रार्थना पत्र की ताहिद में राजपैरोकार की रिपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पास बुक की प्रति, राशन कार्ड, आधार कार्ड व ग्राम डेह के खतौनी सं. 1258, 1253, 445 तथा नामान्तकरण संख्या 2921/दिनांक 05.05.2010 प्रस्तुत की। साक्ष्य प्रार्थी बन्द की गई तथा पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकील प्रार्थी/राजपैरोकार सूनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान किया तथा राजस्व रिकॉर्ड में डेह के खतौनी सं. 1258, 1253 व 445 में दर्ज सहखातेदारो में प्रार्थी का नाम प्रार्थी के पिता का देहान्त हो जाने पर जफरूदीन के स्थान पर जबरूदीन दर्ज कर दिया गया जबकि प्रार्थी का सही नाम जफरूदीन है तथा ग्राम डेह तहसील जायल में जबरूदीन तथा जफरूदीन दोनो एक ही व्यक्ति है। अतः प्रार्थी का नाम उक्त जमाबंदी में जबरूदीन के स्थान पर जफरूदीन पुत्र गुलाबदीन शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया। राजपैरोकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों तथा वकील प्रार्थी द्वारा दी गई दलीलों पर सहमति व्यक्त की साथ ही निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरान की भूमि में प्रार्थी का नाम अन्य सहखातेदार के साथ दर्ज है, जिसमें अन्य सहखातेदारान् के बयान दर्ज किये जाकर प्रार्थी का सही व शुद्ध नाम राजस्व रिकॉर्ड अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान करने में सहमति व्यक्त की है।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज ग्राम डेह तहसील–जायल की वर्तमान खतौनी सं. 1258, 1253 व 445 में वर्णित खसरान की भूमि में प्रार्थी का नाम जबरूदीन पुत्र गुलामखां दर्ज है जिसके स्थान पर जफरूदीन पुत्र गुलाबदीन शुद्ध किये जाने में तहसीलदार जायल (अप्रार्थी) ने सहमति व्यक्त की है। इसी प्रकार मतदाता फोटो पहचान पत्र, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड , बैंक पास की प्रति व आधार कार्ड की फोटो प्रति से प्रार्थी जफरूदीन उर्फ जबरूदीन एक ही व्यक्ति के नाम होने की सम्पुष्टि होती है तथा अन्त में अप्रार्थी पक्षकार तसहीलदार जायल की अभिषंशा रिपोर्ट के अवलकोन से प्रथम दृष्टया यह साबित है कि प्रार्थी जफरूदीन उर्फ जबरूदीन

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

दोनों एक ही व्यक्ति के दो नाम है। जिसमें प्रार्थी का वास्तविक एवं पूर्ण नाम जफरूदीन पुत्र गुलाबदीन है।

चूंकि जबरूदीन एवं जफरूदीन दोनो एक ही व्यक्ति के दो पृथक–पृथक नाम है प्रार्थी का पूर्णरूपेण वास्तविक नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर आम बोलचाल की भाषा में प्रार्थी का नाम जबरूदीन दर्ज हो चुका है। जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रार्थी का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है। अतः प्रार्थी जबरूदीन पुत्र गुलाबदीन का ग्राम डेह तहसील जायल के राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) खाता संख्या 1258, 1253, 445 में दर्ज नाम बोलता नाम जबरूदीन पुत्र गुलाबदीन जाति तेली के स्थान पर वास्तविक पूर्ण नाम जफरूदीन पुत्र गुलाबदीन जाति तेली निवासी देह खातेदार दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– : : आदेश : : –

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेष दिये जाते है कि वे ग्राम डेह तहसील–जायल, जिला–नागौर की नकल जमाबंदी खाता संख्या 1258, 1253, 445 में दर्ज बोलता नाम जबरूदीन पुत्र गुलाबदीन जाति तेली निवासी–देह खातेदार तहसील–जायल के स्थान पर वास्तविक पूर्ण नाम जफरूदीन पुत्र गुलाबदीन जाति–तेली निवासी–देह खातेदार तहसील–जायल दुरूस्त किया जाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 12/03/20 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

12/3/2024

(रवीन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर,
जायल

Scanned with CamScanner